राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः— शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः—128/2020

1. दीपिका चुडावत पत्नी स्व. अजीत सिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर।
2. यशर्वधन सिंह पुत्र स्व. अजीत सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं हाल निवासी डी. 158ए, अम्बाबाड़ी, चौमू पुलिया जयपुर (राज.)
3. निशा शेखावत पुत्री स्व. अजीत सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं हाल निवासी डी. 158ए, अम्बाबाड़ी, चौमू पुलिया जयपुर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मलसीसर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :— 03.03.2021

निर्णय

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या 36 के भूमि ख.न. 47/1148 रकबा 0.54 है0, ख.न. 48 रकबा 1.48 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.96 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 है0 भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का नाम संवहन से दीपिका चुडावत पत्नी अजीत सिंह, यशर्वधन सिंह शेखावत पुत्र अजीत सिंह व निशा शेखावत पुत्री अजीत सिंह के स्थान पर दीपिका कंवर पत्नी अजीत सिंह, किशन सिंह पुत्र अजीत सिंह व निशा कंवर पुत्री अजीत सिंह दर्ज हो गया । इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण ने अपने—अपने नाम के समर्थन में सरकारी आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, गजट नोटिफिकेशन आदि की प्रति सेवा में पेश कि हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दीपिका कंवर पत्नी अजीत सिंह, किशन सिंह पुत्र अजीत सिंह व निशा कंवर पुत्री अजीत सिंह के स्थान पर दीपिका चुडावत पत्नी अजीत सिंह, यशर्वधन सिंह शेखावत पुत्र अजीत सिंह व निशा शेखावत पुत्री अजीत सिंह दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित दीपिका कंवर पत्नी अजीत सिंह, किशन सिंह पुत्र अजीत सिंह व निशा कंवर पुत्री अजीत सिंह के स्थान पर दीपिका चुडावत पत्नी अजीत सिंह, यशर्वधन सिंह शेखावत पुत्र अजीत सिंह व निशा शेखावत पुत्री अजीत सिंह फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या 36 के भूमि ख.न. 47/1148 रकबा 0.54 है0, ख.न. 48 रकबा 1.48 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.96 है0 में दीपीका कँवर पत्नी अजीत सिंह, किशन सिंह पुत्र अजीत सिंह व निशा कँवर दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में संवहन से दीपिका कंवर पत्नी अजीत सिंह, किशन सिंह पुत्र अजीत सिंह व निशा कंवर पुत्री अजीत सिंह के स्थान पर दीपिका चुडावत पत्नी अजीत सिंह, यशर्वधन सिंह शेखावत पुत्र अजीत सिंह व निशा शेखावत पुत्री अजीत सिंह दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या 36 के भूमि ख.न. 47/1148 रकबा 0.54 है0, ख.न. 48 रकबा 1.48 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.96 है00 जमांबदी संवत 2074—77 में अंकित दीपीका कँवर पत्नी अजीत सिंह, किशन सिंह पुत्र अजीत सिंह व निशा कँवर पुत्री अजीत सिंह प्रत्येक हिस्सा 1/6 जाति समस्त राजपूत के स्थान पर दीपिका चुंडावत पत्नी अजीत सिंह, यशवर्धन सिंह शेखावत पुत्र अजीत सिंह, निशा शेखावत पुत्री अजीत सिंह दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर